



**IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORIGINAL JURISDICTION)**

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

AND IN THE MATTER OF

M/s. USHA NETWORK SYSTEMS LTD.

(IN LIQN.) IN C.P. No. 380/2002

AND

M/s. PATAUDI GOLD CEMENT (P) LTD.

(IN LIQN.) IN C.P. No. 70/2005

AND

M/s. NITL MUTUAL BENEFIT (I) LTD.

(IN PROV. LIQN.) IN C.P. No. 114/1998

AND

M/s. SOL LTD.

(IN LIQN.) IN C.P. No. 152/98

FROM No. 63 (SEE RULE) 148 (1)

**ADVERTISEMENT OF NOTICE TO
CREDITORS/WORKMEN TO PROVE THEIR CLAIMS**

Notice is hereby given to the Creditors/Workmen of the above named companies that they are required to submit to the Official Liquidator, Delhi, attached to the Hon'ble High Court of Delhi, the proof of their respective debts or claims against the above named company (s) by delivering the same at the office of Official Liquidator on or before 31-05-07 or sending by post to the Official Liquidator so as to reach at the Office of Official Liquidator, Delhi not later than the aforesaid date along with an affidavit in support of their debt or claim on a non-judicial stamp paper of Rs. 10 in Form No. 66 of the Companies (Courts) Rules, 1959, along with photocopy of original documents proving their debt or claim and any title to priority under section 529 (A) & 530 of the Companies Act, 1956. Any creditor/workmen who fails to submit his/her affidavit or proof of his/her debt within the aforesaid time limit will be excluded from the benefits of any distribution of dividend before his/her debt is proved or as the case may be from objection to such distribution.

Any creditor/workmen who has sent in his/her proof if so required by notice in writing from the Official Liquidator, Delhi, shall either in person or by his/her advocate attend the investigation of such debt or claim at such time and place as shall be specified in such notice and shall produce such further evidence of his/her debt or claim as may be required.

(A. K. Chaturvedi)

Official Liquidator

Attach to Hon'ble High Court Of Delhi

A-2, W-2, Curzon Road, Barracks,

K. G. Marg, New Delhi-110001

Ph.: 011-23389507, 23073393 (Board Nos)

23388405 (Direct)

Fax: 23389996

Date :13.04.2007

Place : New Delhi



नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के आधीन

(मूल क्षेत्राधिकार)

कंपनी अधिनियम, 1956 के मामले में

एवं

मैसर्स उषा नेटवर्क सिस्टम लि.

(समापन में) सी.पी. नं. - 380/2002

एवं

मैसर्स पटौदी गोल्ड सिमेंट प्रा. लि.

(समापन में) सी.पी. नं. - 70/2005

एवं

मैसर्स एनआईटीएल म्युचुयल बनेफिट (आई) लि.

(अस्थायी समापन में) सी.पी. नं. - 114/1998

एवं

मैसर्स सोल लिमिटेड

(समापन में) सी.पी. नं. 152/98

पूर्वोक्त कम्पनीयों (समापन/अस्थाई समापन में) के

ऋणदाताओं और कामगारों को अपना दावा साबित करने के

लिए कंपनी अधिनियम (1956) की धारा 529 ए और 530

के अंतर्गत नोटिस का विज्ञापन

एतद् द्वारा उक्त नामित कंपनी (समापन/अस्थाई समापन में) के सभी वर्गों के ऋणदाताओं और कामगारों को सूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिल्ली के शासकीय समापक के पास उक्त कंपनी के खिलाफ अपना दावा या अपना संबंधित ऋण साबित करने हेतु डाक द्वारा भेजकर अथवा स्वयं 31.5.2007 तक या इससे पहले शासकीय समापक के कार्यालय में जमा करा दें जो उक्त अवधि के अंदर पहुंच जाए जिसके साथ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 529 एवं 530 के तहत दावा या कोई हक या अपना ऋण साबित करने संबंधी मूल दस्तावेज के साथ कंपनी (कोर्ट) नियम, 1959 के फार्म नं. 66 में दस रुपये मात्र का गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर अपने दावे के समर्थन में एक शपथ पत्र रहना चाहिए। कोई भी ऋणदाता जो उक्त निर्धारित समय के अंदर अपने ऋण का प्रमाण या शपथ पत्र जमा कराने में विफल रहेंगे उनका ऋण प्रमाणित होने से पहले किसी प्रकार के लाभांश वितरण के लाभ से वंचित रहेंगे या ऐसे वितरण की आपत्ति से जैसी भी परिस्थिति उत्पन्न होगी।

कोई भी ऋणदाता और कामगार जो शासकीय समापक की लिखित सूचना मिलने पर आवश्यक प्रमाण भेजे हुए हों, वे स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि व समय पर इस ऋण या दावे की जाँच-पड़ताल में शामिल हो सकते हैं और जो भी अनिवार्य हो, अपने दावे या ऋण का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ए.के. चतुर्वेदी)

शासकीय समापक

दिल्ली उच्च न्यायालय

ए-2, डब्ल्यू-2, कर्जन रोड, बैरक्स,

के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

फोन: 011-23389507, 23073393 (बोर्ड नं०)

दिनांक : 13.04.2007

23388405 (डायरेक्ट)

स्थान : नई दिल्ली

फैक्स नं० : 23389996